सं. 12015/10/2018-रा.भा.(त.क.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-।। बिल्डिंग,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली -110001
दिनांक: 20 जुलाई,, 2018

<u>कार्यालय - ज्ञापन</u>

विषय : 06 जुलाई , 2018 को संयुक सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में अमृतसर में आयोजित नराकासो की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समीक्षा एवं तकनीकी संगोष्टी का कार्यवृत्त ।

संयुक सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में अमृतसर में 06 जुलाई , 2018 को नराकासो की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समीक्षा एवं तकनीकी संगोष्टी का आयोजन हुआ। नराकासो की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समीक्षा एवं तकनीकी संगोष्टी का कार्यवृत्त संलग्न है।

2. अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित मदों पर अपेक्षित कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को अवगत कराएं ।

अरुण कुमार सिंह

(अरूण कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23438143
20/7/2018

संलग्न : यथोक्त

प्रति :-

उप निदेशक (कार्या.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1.सचिव, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।

2.संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव ।

3.वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (NIC) को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु ।

दिनांक 6/7/2018 को अमृतसर पंजाब में आयोजित 'नराकासों की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समीक्षा एवं तकनीकी संगोष्ठी' का कार्यवृत्त

संयुक्त सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 6 जुलाई, 2018 को अमृतसर (पंजाब) में एकदिवसीय 'नराकासों की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समीक्षा एवं तकनीकी संगोष्ठी' का आयोजन किया गया। संयुक्त सचिव (राजभाषा) के साथ-साथ निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारी मंच पर उपस्थित रहे :-

1. सुश्री आर भामा, प्रधान आयकर आयुक्त, लुधियाना
2. श्री सत्यवान ओहलान, मंडल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, अमृतसर
3. श्री बिश्वजीत सतपथी, उप मंडल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, लुधियाना
4. श्री सुरिंदर सिंह, निदेशक, सैमी कंडक्टर लेबोरेटरी, मोहाली

2. संयुक्त सचिव महोदय ने मंचासीन अधिकारियों एवं पंजाब राज्य की नराकासों के सभी उपस्थित नराकास अध्यक्षों तथा सदस्य-सचिवों तथा अन्य अधिकारियों का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। संयुक्त सचिव महोदय ने अवगत कराया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में चार क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं चार तकनीकी संगोष्ठियां आयोजित की गई । वर्ष 2018-19 से तकनीकी संगोष्ठियों के स्थान पर 10 एक दिवसीय 'नराकासों की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समीक्षा एवं तकनीकी संगोष्ठी' आयोजित की जाएंगी और यह पहली एक दिवसीय 'नराकासों की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समीक्षा एवं तकनीकी संगोष्ठी' है। संगोष्ठी में कुछ नराकासों के सदस्य सचिवों ने पॉवर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया :

3. **श्री पवन झा, सदस्य सचिव, जालंधर (बैंक)** ने बताया कि उनके बैंक द्वारा राजभाषा विभाग से प्राप्त अनुदेशों/ निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। नराकास की बैठकें यथासमय आयोजित की जाती हैं। नराकास द्वारा 'प्रयास' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। बैंक द्वारा राजभाषा शील्ड एवं प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। संयुक्त कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है।

4. **सुश्री सुषमा गुप्ता, सदस्य सचिव, जालंधर (का0)** ने बताया कि नराकास की बैठकों का समय से आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त हिंदी कार्यशाला और राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया जाता है। नराकास द्वारा 'अनुभूति' पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

5. **श्री राजवीर डाण्डे, नराकास लुधियाना (का0)** ने बताया कि द्विभाषी मित्र सॉफ्टवेयरों का प्रयोग 14 सितंबर, 2009 को पूरा कर लिया गया था, इसमें हिंदी में कार्य करने की सुविधा है। 14 सितंबर, 2010 को पंजाब नेशनल बैंक की शतप्रतिशत 6568 शाखाओं में हिंदी प्रयोग की जा रही है।

कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग सर्विस में भी काफी कार्य हिंदी में किया जा रहा है। एसएमएस की सुविधा हिंदी के अलावा 11 अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप में हिंदी में संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। 'लुधियाना दर्पण' पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

6. **सहायक निदेशक (का0), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली)** ने संगोष्ठी में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को राजभाषा हिंदी के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की जानकारी दी । उन्होंने बताया कि नियम 12 में कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी है कि राजभाषा हिंदी का अनुदेशों व लक्ष्यों के अनुसार अनुपालन कराएं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही राजभाषा कीर्ति तथा राजभाषा गौरव पुरस्कार योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया ।

उप निदेशक (का0), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली) ने नराकासों द्वारा ऑनलाइन भेजी गई नराकासों की बैठकों की कार्यसूची इत्यादि के आधार सभी नराकासों की कुछ कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया :

(1) अमृतसर (कार्यालय) :

(i) नराकास अध्यक्ष सदस्य कार्यालयों की ऑनलाइन प्रविष्टियां शीघ्र करवाएं ।

(ii) नराकास की बैठकें निर्धारित कैलेंडर माह में होनी चाहिए तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए ।

(iii) नराकास की बैठक होने के 10 दिन के अंदर कार्यवृत्त जारी करें और अनुपालन लें।

(iv) नराकास की बैठकों में प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति आवश्यक है।

(v) छमाही रिपोर्टों के लिए मानदंड निर्धारित करें ।

(vi) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड कराएं ।

(2) जालंधर (का0) :

(i) नराकास की बैठक निर्धारित समय से हो तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए ।

(ii) नराकास की बैठक होने के 10 दिन के अंदर कार्यवृत्त जारी करें।

(iii) नराकास की बैठकों में प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति जरूरी है।

(iv) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड कराएं ।

(3) जालंधर (बैंक) :

(i) नराकास की बैठक निर्धारित समय से हो तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए ।

(ii) नराकास की बैठकों में प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति जरूरी है।

(iii) पत्रिका में समसामायिक विषयों, संस्मरण, कविताओं को भी शामिल करें।

(4) पटियाला (का0) :

(i) कार्यसूची एवं कार्यवृत्त समय से जारी करें।

(ii) प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति में सुधार की जरूरत है।

(iii) नराकास (पटियाला) में सदस्य-सचिव नहीं है । लुधियाना नराकास की सदस्य सचिव को अतिरिक्त कार्य करने में परेशानी आ रही है ।

(iv) कार्यालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है । इस संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए ।

(v) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड कराएं ।

(5) फतेहगढ़ :

(i) नराकास की बैठक निर्धारित समय से हो तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी हो जानी चाहिए ।

(ii) बैठक का कार्यवृत्त जारी होने के बाद उसकी अनुपालना रिपोर्ट जरूर लें ।

(iii) छमाही रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं । इस संबंध में ध्यान देने की जरूरत है ।

(iv) सदस्य कार्यालयों की ऑनलाइन प्रविष्टियां कराएं ।

(v) प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति में सुधार की आवश्यकता है ।

(6) भटिण्डा (का0) :

(i) सभी नराकास अध्यक्ष सदस्य कार्यालयों की प्रविष्टियां समय से करवाएं ।

(ii) नराकास की बैठक निर्धारित समय से हो तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए ।

(iii) नराकास की बैठक होने के 10 दिन के अंदर कार्यवृत्त जारी करें।

(iv) बैठक का कार्यवृत्त जारी होने के बाद उसकी अनुपालना रिपोर्ट जरूर लें ।

(v) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड कराएं ।

(7) मुक्तसर (का0) :

(i) 2016-17 में बैठकें बिलंब से आयोजित की गई । अग्रिम बैठक आयोजित करने की जरूरत नहीं है, बैठक समय से आयोजित कराएं।

(ii) अधिक से अधिक छमाही रिपोर्टें मंगवाई जाएं ।

(iii) प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति पर जोर दिया जाए।

(iv) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड कराएं ।

(8) मानसा :

(i) सभी नराकास अध्यक्ष सदस्य कार्यालयों की प्रविष्टियां समय से करवाएं ।

(ii) नराकास की बैठक निर्धारित समय से हो तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए ।

(iii) नराकास की बैठक होने के 10 दिन के अंदर कार्यवृत्त जारी करें।

(iv) नराकास की बैठकों में प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति जरूरी है।

(v) छमाही रिपोर्टें कम प्राप्त हुई हैं, और अधिक रिपोर्ट मंगाने का प्रयास करें।

(vi) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड कराएं ।

(9) लुधियाना (कार्यालय) :

(i) प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति बहुत कम है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(ii) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड नहीं है। कृपया विवरण अपलोड कराएं ।

(10) लुधियाना (बैंक) :

(i) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड नहीं है। कृपया विवरण अपलोड कराएं ।

(ii) नराकास की बैठक निर्धारित समय से हो तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए ।

(iii) प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति बहुत कम है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(iv) नराकास की बैठक होने के 10 दिन के अंदर कार्यवृत्त जारी करें।

(v) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड कराएं ।

(11) होशियारपुर:

(i) नराकास की बैठक निर्धारित समय से हो तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए ।

(ii) नराकास की बैठक होने के 10 दिन के अंदर कार्यवृत्त जारी करें।

(iii) प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति बहुत कम है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(iv) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड कराएं ।

(12) फरीदकोट:

(i) नराकास की बैठक निर्धारित समय से हो तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए ।

(ii) प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है ।

(iii) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड कराएं ।

(13) **फिरोजपुर:**

(i) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड करवाएं।

(ii) नराकास की बैठक निर्धारित समय से हो तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए ।

(iii) नराकास की बैठक होने के 10 दिन के अंदर कार्यवृत्त जारी करें।

(iv) 12 मार्च, 2018 को आयोजित नराकास के आंकड़े अपलोड कराएं ।

(14) **बरनाला :**

(i) सदस्य-सचिव की नियुक्ति कर लें ताकि नराकास का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

(ii) नराकास की बैठक निर्धारित समय से हो तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए ।

(iii) नराकास की बैठक होने के 10 दिन के अंदर कार्यवृत्त जारी करें।

(iv) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड करवाएं ।

(15) **रूपनगर :**

(i) नराकास की बैठक समय पर आयोजित कराएं । पहली बैठक 20/7/2018 को आयोजित की जाएगी तथा बैठक की कार्यसूची 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए।

(ii) नराकास की बैठक होने के 10 दिन के अंदर कार्यवृत्त जारी करें।

(iii) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड करवाएं ।

(16) **मोगा :**

(i) नराकास की बैठकों में अधिक से अधिक प्रशासनिक प्रधानों की उपस्थिति बढ़ाएं ।

(ii) सभी सदस्य कार्यालययों से छमाही रिपोर्टें मंगाई जाए ।

(iii) नराकास की बैठक निर्धारित समय से हो तथा उसकी कार्यसूची भी 15 दिन पहले जारी होनी चाहिए ।

(iv) नराकास की बैठक होने के 10 दिन के अंदर कार्यवृत्त जारी करें।

(v) संयुक्त वेबसाइट पर विवरण अपलोड करवाएं ।

7. पंजाब के जिन 08 जिलों में नराकास गठित नहीं है, वहां पर नराकास गठित करने के संबंध में विभिन्न कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है :

(1) तरनतारन : तरनतारन जिले में जिस कार्यालय को नराकास की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था, वह उपस्थित नहीं थे ।

(2) फजिलका : श्री टी आर मीना, उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, अबोहर को नामित किया गया है, औपचारिक सहमति प्राप्त कर राजभाषा विभाग को प्रस्ताव भेजें ।

(3) पठानकोट : महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, पठानकोट को नराकास की अध्यक्षता की सहमति हेतु चर्चा की गई। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय इस संबंध में उक्त कार्यालय से संपर्क करें ।

(4) मोहाली : श्री सुरिंदर सिंह, निदेशक, सैमी कंडक्टर लेबेरेटरी, मोहाली को नराकास अध्यक्ष हेतु नामित किया गया है, औपचारिक सहमति प्राप्त कर राजभाषा विभाग को प्रस्ताव भेजें।

(5) कपूरथला : महाप्रबंधक, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला को नराकास अध्यक्ष हेतु नामित किया गया है। औपचारिक सहमति प्राप्त कर राजभाषा विभाग को प्रस्ताव भेजें।

(6) नवांशहर : दो कार्मिक हैं, स्टाफ की कमी है, नराकास की अध्यक्षता नहीं कर सकते ।

(7) संगरूर : संगरूर जिले से जिस कार्यालय को नराकास की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था, वह उपस्थित नहीं थे ।

(8) गुरदासपुर : गुरदासपुर जिले में जिस कार्यालय को नराकास की अध्यक्षता के लिए चुना गया था, उसमें केवल दो कार्मिक हैं, इसलिए नराकास की अध्यक्षता स्वीकार नहीं कर सकते ।

8. संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने आठ जिलों में नई नराकास गठित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा । इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने निम्नलिखित सुझाव दिए :

(i) **सुश्री आर भामा, प्रधान आयकर आयुक्त, लुधियाना** ने सुझाव दिया कि सरल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, जैसे जो अंग्रेजी का शब्द समझ में नहीं आता, उसको वैसे ही देवनागरी में लिख दें । जिन कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान बैठक में नहीं आते, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करनी चाहिए ताकि बैठक में संख्या बढ़ सके ।

(ii) **श्री बिश्वजीत सतपथी, उप मंडल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, लुधियाना** ने सुझाव दिया कि जहां नराकास अध्यक्ष और सदस्य-सचिव का कार्यभार अलग-अलग कार्यालयों के अधिकारियों के पास है, वहां पर तालमेल की कमी है। राजभाषा विभाग की तरफ से एक ही संस्था/कार्यालय के अधिकारियों को अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव का कार्यभार दिया जाए।

9. **संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय** ने बैठक हेतु हॉल मुहैय्या कराने तथा अन्य सहयोग के लिए पंजाब नेशनल बैंक का धन्यवाद किया तथा बैठक में हुई चर्चा के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया :

(i) यदि कहीं पर नराकास अध्यक्ष यह सुझाव देते हैं कि सदस्य सचिव उनके ही कार्यालय का होगा तो राजभाषा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

(ii) आप सभी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

(iii) पिछले क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों तथा तकनीकी संगोष्ठियों में जो सवाल/समस्याएं उठाई गई थी, उन पर राजभाषा विभाग द्वारा कार्रवाई कर ली गई है, इस संबंध में अद्यतित सभी रिपोर्टें/सूचनाएं विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। सदस्य कार्यालयों की वेबसाइट को द्विभाषी बनाएं, क्योंकि पुरस्कार में वेबसाइट के भी अंक होते हैं ।

(iv) सभी नराकास अध्यक्षों एवं सदस्य-सचिवों का व्हाटसएप ग्रुप बना सकते हैं।

(v) नराकास की बैठक के प्रतिपूर्ति खर्चे को 01 जुलाई, 2018 से 25 प्रतिशत बढा दिया गया है ।

नराकासों के कार्य/अपेक्षाएं :

(i) सभी कार्यालयाध्यक्ष नियम 12 का अनुपालन कराएं।

(ii) राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों/राजभाषा नियम/अधिनियम को लागू करना, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढाना एवं वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना सभी नराकासों का दायित्व है ।

(iii) हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iv) धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन होना चाहिए ।

(v) नियम 5 का अनुपालन हो।

(vi) मूल कार्य हिंदी में करने पर बल देना चाहिए। नराकास की बैठक में अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव अवश्य उपस्थित रहें।

(vii) सदस्य कार्यालयों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए ।

(viii) वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों पर चर्चा/कार्रवाई का रोड मैप समय सीमा के साथ बनाना।

(ix) नराकास की बैठकों में सभी सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।

10. **संयुक्त सचिव महोदय ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय** द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों/उपलब्धियों का उल्लेख किया :-

(i) 14 सितंबर, 2017 को माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से **'लीला'** मोबाइल ऐप लांच किया गया । इसमें 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीख सकते हैं ।

(ii) इसी तरह आम जनता के लिए **'प्रवाह'** बना रहे, इसके माध्यम से कोई भी हिंदी सीख सकता है।

(iii) राजभाषा विभाग में **'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र'** खोला गया है। इसमें राजभाषा विभाग, विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संयुक्त भागीदारी है । यह राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी प्रौद्योगिकी का काम करेगा ।

(iv) राजभाषा विभाग द्वारा चलाई जा रही श्रुतलेखन, टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजनाएं की पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की गयी है।

(v) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरों, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा 5467 शब्दों को सरलीकृत करके वेबसाइट पर डाला गया है ।

(vi) राजभाषा विभाग के प्रयासों से विदेशों में भी नराकास गठन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है । इससे विदेशों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलेगा । यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है ।

(vii) 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की अनुशंसा अनुपालन समिति में माननीय विदेश मंत्री ने संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में संयुक्त मंच का गठन किया, जिसमें 65000 शब्दों की विधि शब्दावाली तैयार हो गई है और उसे 7 भाषाओं (गुजराती, गराठी, तमिल, तेलगू, पंजाबी, उर्दू और बांगला) में भी बनाया गया है ।

(viii) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा 'अनुवाद आधारित ई-लर्निंग प्लेटफार्म' का लोकार्पण किया गया, जिसके माध्यम से अनुवाद करना आसानी से सीख सकते हैं।

(ix) भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्तीय सेवाएं विभाग ने पासबुक में हिंदी में प्रविष्टि तथा एटीएम पर्ची हिंदी में करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं ।

11. संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में संयुक्त सचिव महोदय ने समस्याएं/सुझावों के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित किया, जिसमें उपस्थित अधिकारियों ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किए :

1) **श्री विनोद कटोट, हिंदी अधिकारी, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला** ने सवाल किया कि राजभाषा, गृह मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहन योजना आदि से संबंधित जो आदेश जारी होते हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए जब हम किसी विभाग में जाते हैं तो उनका कहना है कि जब रेल मंत्रालय से आएगा तब उसे मानेगें। यह समस्या रहती है, चाहे वित्तीय योजना हो या अन्य कोई मामला।

2) **श्री नवीन प्रकाश, अग्रणी जिला प्रबंधक, फतेहगढ़ साहिब** ने अनुरोध किया कि उनके बैंक में एक भी क्लर्क नहीं है, तो ऐसे में सारे बैंकों को बुलाना, बैठक का आयोजन करना, वेबसाइट पर डालना आदि-आदि क्रियाकलाप करना बहुत मुश्किल लगता है। अनुरोध है कि नराकास की जिम्मेदारी उप आयुक्त, आयकर विभाग सौंपी जानी चाहिए ।

3) **श्री सुनील कुमार शर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक, रूपनगर (रोपड़)** ने भी उनके यहां पर स्टाफ की कमी के चलते नराकास का दायित्व आईआईटी को देने का अनुरोध किया ।

4) **श्री तरलोचन सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक, बरनाला** ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनके यहां स्टाफ की कमी के कारण नराकास की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही हैं ।

5) **श्री पवन कुमार आहूजा, अग्रणी जिला प्रबंधक, मुक्तसर** ने कहा कि उनके यहां केवल दो कार्मिक हैं, इसलिए नराकास की बैठक आयोजित करने में कठिनाई आ रही है ।

6) **श्री बंशीलाल, अग्रणी जिला प्रबंधक, मानसा** ने भी स्टाफ की कमी के कारण नराकास की बैठक आयोजित न होने की समस्या बताई ।

7) **श्री सुशील कुमार, सदस्य-सचिव, फरीदकोट** ने अंशदान की समस्या ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि नराकास के 24 सदस्य कार्यालय हैं, जिनमें से केंद्रीय विद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय खाद्य निगम आदि कोई अंशदान नहीं देते है, उक्त कार्यालयों का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

8) **श्री बृजपाल सिंह, राजभाषा अधिकारी, सीमांत मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, जालंधर** ने स्पष्टीकरण दिया कि अंशदान किस हैड और किस शीर्षक से दिया जाएगा यह साफ नहीं है। इसलिए यह समस्या आती है ।

9) **सुश्री किरण साहनी, सदस्य सचिव, नराकास लुधियाना (का0)** ने सवाल किया कि 75 मिनट की हिंदी कार्यशालाओं के लिए मानदेय राशि 500/- रुपए बहुत कम है। यहां तक कि हमारे अपने विभाग में भी रू0 1000/75 मिनट दिए जाते हैं।

12. सहायक निदेशक (का0), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली ने अधिकारियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नराकास, मानसा, मुक्तसर, बरनाला, रूपनगर और फतेहगढ साहिब जहां-जहां कार्मिकों की कमी की समस्या है, वे कार्यालय अपने राजभाषा अधिकारियों की मदद ले सकते हैं। उक्त सभी नराकासों की अध्यक्षता परिवर्तन पर कार्रवाई की जाएगी, तब तक बैठकों का समय से आयोजित करवाते रहें।

13. **उप निदेशक (का0), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली** ने प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में बड़े अधिकारी नहीं है, किंतु निर्णय के अनुसार हर जिले में नराकास का गठन किया जाना आवश्यक है । जिन नराकासों में स्टाफ की समस्या है, वे सदस्य-कार्यालयों के हिंदी अधिकारियों की मदद ले सकते हैं ।

14. **संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय** ने श्री विनोद, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा जो भी आदेश निकाले जाते हैं वे सब नीतिगत फैसले के तहत माननीय गृह मंत्री जी द्वारा अनुमोदित होते हैं । अगर किसी के यहां इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको राजभाषा विभाग के संज्ञान में लाया जाए, उस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी ।

15. पांच नराकासों ने स्टाफ की कमी का जिक्र किया है । इस संबंध में जिस नराकास के सदस्य कार्यालय के यहां वरिष्ठ अधिकारी है, स्टाफ पर्याप्त है तथा हर प्रकार से सक्षम है, तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली को दी जाए । राजभाषा विभाग नराकास की अध्यक्षता में परिवर्तन करने पर कार्रवाई करेगा । किंतु कई नराकास संसाधन होते हुए भी बैठकें नहीं करती हैं, तो इसे संबंधित मंत्रालयों के शीर्षस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा । उक्त प्रस्ताव एक माह मे उपलब्ध कराएं ।

(कार्रवाई : उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन, दिल्ली एवं संबंधित नराकास)

16. श्री सुशील कुमार और श्री बृजपाल जी के अंशदान के सवाल के जवाब में संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि यह बहुत संवेदनशील प्रश्न है। राजभाषा विभाग के किसी भी आदेश में अंशदान का प्रावधान नहीं किया गया है । राजभाषा विभाग ने नराकास प्रतिपूर्ति के खर्च में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि की है। प्रत्येक कार्य नियम और कानून के अंतर्गत ही होने चाहिए।

17. सदस्य सचिव, नराकास,लुधियाना (का0) के प्रश्न के उत्तर में संयुक्त सचिव ने कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेश में कार्यशालाओं हेतु सेवारत अधिकारियों को 500/- रुपए (75 मिनट) तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों के 1000/- रुपए (75 मिनट) मानदेय का प्रावधान है । किंतु इस संबंध में सेवारत कार्मिकों को मानदेय नहीं लेना चाहिए, इसका लाभ सेवानिवृत्त लोगों को मिलना चाहिए।

18. जो कार्यालय आज की बैठक में उपस्थित नहीं है, उनके नामों की सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि इसको उनके मंत्रालय के सचिवों के संज्ञान में लाया जा सके । हिंदी के कार्यान्वयन में कभी भी कोई समस्या आती है तो पहले आप क्षेत्रीय कार्यान्वयन कर्यालय से संपर्क करें। फिर भी आपको लगता है कि यहां काम नहीं हो पा रहा है तो हमें jsol@nic.in पर मेल करें।

(कार्रवाई : उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली)

19. सभी कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों की जिलेवार पूर्ण सूची तैयार की जाए।

(कार्रवाई : उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली)

इसके अलावा संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए, शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा :

(i) हर जिले में नराकास का गठन होना चाहिए।
(ii) आठ कार्मिकों से अधिक वाले कार्यालयों को नराकास का सदस्य बनाया जाए ।
(iii) पंजाब के जिन आठ जिलों में नराकास का गठन नहीं हुआ है, उनमें से तीन पर निर्णय ले लिया गया है, बाकी पांच जिलों के बारे में एक माह में कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी । आप सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उप निदेशक (का0) को सहयोग करें।
(iv) 50 से अधिक सदस्य कार्यालयों वाली नराकासों को विभाजित किया जाए।
(v) राजभाषा विभाग की ओर से प्रत्येक नराकास के अच्छे कार्यों तथा कमियों के बारे में संबंधित मंत्रालयों के शीर्षस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा सकता है ।

इस संगोष्ठी को तभी सफल माना जाएगा जब निम्नलिखित तीन कार्य एक माह में संपन्न हो जाएगें:

1. **जिन नराकासों की अध्यक्षता परिवर्तन करना है, उन पर तत्काल कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। तभी सभी नराकासें सक्रिय हो पाएंगी ।**
2. **जिन आठ जिलों में नराकासों का गठन नहीं हुआ है, उस पर तत्काल एक महीने के भीतर कार्रवाई की जाए ।**
3. **जिन नराकासों की बैठकें 31 अगस्त तक होनी है, वे यथासमय हो जाएं। ताकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर कहा जा सके कि पंजाब पहला ऐसा प्रदेश है, जहां हर जिले में नराकास का गठन किया जा चुका है और सभी नराकासें सक्रिय हैं, जो हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए एक शुभ संकेत है ।**

अंत में संयुक्त सचिव महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया तथा श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली और उनकी टीम को धन्यवाद ज्ञापन के साथ संगोष्ठी संपन्न हुई ।

******